

**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR**



S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 12916/2025

Anjana Jha W/o Sh. Dharmendra Jha, Aged About 51 Years, R/o 206/38, Gali No. 4, Vigyan Nagar, Adarsh Nagar, Ajmer (Raj.) (At Presently Confined In Central Jail Ajmer)

-----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

-----Respondent

For Petitioner(s)	: Mr. Anirudh Tyagi Mr. Saurabh Vaishnav
For Respondent(s)	: Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MR. JUSTICE PRAVEER BHATNAGAR

Order

10/11/2025

प्रार्थिया/अभियुक्ता की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 483 के अन्तर्गत पुलिस थाना— आदर्श नगर (अजमेर), जिला— अजमेर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या— 192/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2), 61(2)(ए) भारतीय न्याय संहिता में पेश किया गया है।

प्रार्थिया/अभियुक्ता के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि प्रार्थिया/अभियुक्ता को प्रकरण में झूठा संबद्ध किया गया है। प्रार्थिया/अभियुक्ता दिनांक 27.05.2025 से अभिरक्षा में चल रही है। प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता के संदर्भ में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है। पूर्व में प्रार्थिया/अभियुक्ता का प्रथम जमानत आवेदन इस न्यायालय द्वारा इस स्वतंत्रता के साथ निस्तारित किया गया था कि प्रार्थिया/अभियुक्ता प्रकरण में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के उपरांत पुनः जमानत याचिका प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेगी। प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता के संदर्भ में जो आक्षेपित आरोप हैं, वे अनन्य रूप से मजिस्ट्रेट द्वारा

विचारणीय हैं। अभियोग पत्र में गवाहान की लंबी सूची वर्णित है और अन्य सहअभियुक्तगण भी मुलजिम हैं। प्रकरण के विचारण में लंबा समय लगने की संभावना है। प्रार्थिया/अभियुक्ता का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः प्रार्थिया/अभियुक्ता को जमानत का लाभ दिया जाए।

विद्वान् लोक अभियोजक द्वारा जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण के गुणावगुणों पर इस प्रक्रम पर कोई टिप्पणी किया जाना अपेक्षित नहीं है। प्रकरण में प्रार्थिया/अभियुक्ता एक महिला है और लंबे समय से अभिरक्षा में चल रही है। प्रकरण में अभियोग पत्र संबंधित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है एवं मामला मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय हैं। प्रार्थिया/अभियुक्ता का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मैं प्रार्थिया/अभियुक्ता का द्वितीय जमानत आवेदन स्वीकार किए जाने योग्य समझता हूँ।

परिणामतः प्रार्थिया/अभियुक्ता **अनजना झा पत्नी धर्मेन्द्र झा** की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थिया/अभियुक्ता इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु पचास हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पच्चीस-पच्चीस हजार रुपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(PRAVEER BHATNAGAR),J